न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर
पिठासीन अधिकारी श्री सुरेश कुमार प्रथम (आर0ए0एस0)

राजस्व वाद संख्या– 238/2017

1– बस्तीराम
2– मदनलाल पिता मांगीलाल जाति जाट निवासीगण डिडिया खुर्द तहसील जायल।

.....वादीगण

बनाम

1– मांगीलाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी डिडिया खुर्द तहसील जायल।
2– सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला नागौर।

..... प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्तागण:–
1– श्री जीयाराम गोदारा वादीगण की और से।
2– श्री शिवकुमार पाराशर प्रतिवादी सं. 01 की और से।

–: निर्णय :–

दिनांक : 28.08.19

वादी वादीगण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है वादीगण व प्रतिवादीगण के बडेर की पुश्तैनी भूमि मौजा डिडिया खुर्द के खेत खसरा नम्बर 80 रकबा 23 बीघा 02 बिस्वा, खेत खसरा न. 267 रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा रहती चली आई है। वादीगण व प्रतिवादीगण आपसी सहमति व जुबानी बंटवाड़ा सम्वत 2065 की आखातीज को कर लिया है। बटवाडा रकीम निम्न प्रकार है:–

1. यह है कि वादी सं. 01 बस्तीराम के हक बंट, कब्जाकाश्त व खातेदारी में वाके डिडिया खुर्द के खेत खसरा नं. 80 रकबा 23 बीघा 02 बिस्वा में से 11 बीघा 11 बिस्वा पूर्वी भाग एवं खेत खसरा नं. 267 रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा में से 7 बीघा 06 बिस्वा उत्तरी भाग रखा गया।
2. वादी सं. 02 मदनलाल के हक बंट, कब्जाकाश्त व खातेदारी में वाके मौजा डिडिया खुर्द खेत खसरा नं. 80 रकबा 23 बीघा 02 बिस्वा में से 11 बीघा 11 बिस्वा पश्चिमी भाग व खेत खसरा नं. 267 रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा में से 7 बीघा 05 बिस्वा दक्षिणी भाग रखा गया है।
3. प्रतिवादी सं. 01 मांगीलाल के हकबंट में नकदी व मकान रखा गया है तथा वृद्ध होने से व आंखों से लाचार होने से खेतों में कोई बंट नहीं रखा गया है।

अतः दावा पेश कर इस्तदुआ वादीगण है कि वाद के पैरा संख्या 02 के उप पैरा क व ख के अनुसार डिक्री सादिर फरमाई जावे।

वाद वादीगण का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी सं. 01 की और से वकील श्री शिवकुमार पाराशर ने वकालतनामा मय ईकवाली जवाब

उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर।

Scanned by CamScanner

पेश किया। वकील वादी व वकील प्रतिवादी सं. 01 की ओर से इनकी पहचान देकर इन की ओर से राजीनामा पेश किया।

वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 01 के बीच राजीनामा होने के कारण वाद में विवादक बिन्दु तय नहीं किये गये। प्रकरण में विद्धवान अधिवक्ताओं वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार जायल को तहरीर जारी की जाकर वाद को निर्णित करते हुए वाद को डिक्री किये जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्धवान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। सभी पक्षकारों में राजीनामा होने के कारण राजीनामें के अनुसार वादीगण का वाद निम्न प्रकार से स्वीकार कर डिक्री किया जाता है :-

1. यह है कि वादी सं. 01 बस्तीराम के हक बंट कब्जाकाश्त व खातेदारी में वाके डिडिया खुर्द के खेत खसरा नं. 80 रकबा 23 बीघा 02 बिस्वा में से 11 बीघा 11 बिस्वा पूर्वी भाग एवं खेत खसरा नं. 267 रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा में से 7 बीघा 06 बिस्वा उत्तरी भाग रखा गया।
2. वादी सं. 02 मदनलाल के हक बंट खातेदारी में वाके गाँजा डिडिया खुर्द खेत खसरा नं. 80 रकबा 23 बीघा 02 बिस्वा में से 11 बीघा 11 बिस्वा पश्चिमी भाग व खेत खसरा नं. 267 रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा में से 7 बीघा 05 बिस्वा दक्षिणी भाग रखा गया है।
3. प्रतिवादी सं. 01 मांगीलाल के हकबंट में नकदी व मकान रखा गया है तथा वृद्ध होने से व आंखों से लाचार होने से खेतों में कोई बंट नहीं रखा गया है।

-: आदेश :-

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादीगण का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। इसी माफिक डिक्री पर्चा भरा जाकर तहसीलदार जायल को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

(सुरेश कुमार प्रथम)
उपखण्ड अधिकारी, जायल

निर्णय आज दिनांक 20.08.19 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार प्रथम)
उपखण्ड अधिकारी, जायल

Scanned by CamScanner